

**HARYANA GOVERNMENT
TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT
Notification**

The 17th February, 2010

No. CCP (NCR)GGN-NURGARH/CA/2010/505.- Where in the opinion of the Government the area specified in the schedule given below and show in the plan appended hereto has the potential for building activities and haohazard development:

Now, there fore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (I) of Section 4 of the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act,1963(Punjab Act 41 of 1963),the Governor of Haryana hereby declarea the area to be a controlled area for the purposes of the said Act,namely:-

Schedule

Schedule of boundaries of controlled area around villages Nurgarh(Hadbast number 12),Bhamanwas(Hadbast number 10), Magwaki(Hadbast number 11), Chillarki(Hadbast number 14), Jasant(hadbast num,ber 17), Brijpura (Hadbast number 18) and Barkheri- Rehnva(Hadbast nulber 261) and Haliaki (Hadbast number 13), District Gurgaon to be read with Drawing No.D.T.P (G) 1665/07,dated the 5th October,2007.

North: Starting from point 'A' i.e. north-west corner of rectangle No. 1 of villageNurgarh (Hadbast number 12).Thence moving from point 'A' towards east along the north-east district boundary of district Gurgaon upto point 'B' i.e tri-junction meeting point of district boundaries of districts Jhajjar,Rewari and Gurgaon.

East : Thence moving from point 'B'towards south along the boundary of the controlled area already declared around municipal limit of Pataudi vide Government Gazette Notification No.CCP(NCR)/CA(B)- PTD/2007/1031 dated 28th February, 2007 upto point 'C' i.e south-east corner of rectangle number 27 of village Brijpura(Hadbast number 18).

South: Thence moving from point 'C' towards the west along south and south-east district Gurgaon upto point 'D' i.e south-west corner of Rectangle No.33 of village Barheri Rehnwa(Hadbast number 261).

West: Thence moving from point 'D' towards north along the western district boundary district Gurgaon upto point 'A' i.e. point of start.

D.S.DHESI,

Financial commissioner and Principal Secretary to Government, Haryana,
Town and Country Planning Department.

हरियाणा सरकार
नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग
अधिसूचना

दिनांक 17 फरवरी, 2010

संख्या सी0सी0पी0 (एन0सी0आर0) / जी0 जी0 एन0-नूरगढ़ / सी0 ए0 / 2010 / 505- चूंकि, राज्य सरकार की राय में नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट तथा उससे संलग्न योजना में दर्शाए गये क्षेत्र भवन गतिविधियों तथा अव्यवस्थित विकास के लिए संभाव्य हैं:

इसलिए, अब, पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियन्त्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41), की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, उक्त क्षेत्रों को उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ नियंत्रित क्षेत्र के रूप में घोषित करते हैं, अर्थात:-

अनुसूची

गांव नूरगढ़ (हदबस्त संख्या 12), ब्रह्मणवास (हदबस्त संख्या 10), मगवकी (हदबस्त संख्या 11), चिलारकी (हदबस्त संख्या 14), जासत (हदबस्त संख्या 17), ब्रिजपुरा (हदबस्त संख्या 18), बरहेड़ी-रहनवा (हदबस्त संख्या 261), हलियाकी (हदबस्त संख्या 13) जिला गुड़गांव के नजदीक के नियन्त्रित क्षेत्रों की सीमाओं की अनुसूची को ड्राईंग संख्या डी0टी0पी0 (जी0) 1665 / 2007, दिनांक 5 अक्टूबर, 2007 के साथ पढ़ा जाए।

उत्तर: बिन्दु 'ए' से प्रारम्भ करते हुए, जो कि गांव नूरगढ़ (हदबस्त संख्या 12) की आयत संख्या 1 का उत्तर-पूर्व कोना है। तत्पश्चात् बिन्दु 'ए' से पूर्व की ओर जिला गुड़गांव की उत्तर-पूर्वी जिला सीमा के साथ-साथ बिन्दु 'बी' तक जो कि जिला झज्जर, रेवाड़ी तथा गुड़गांव की जिला सीमाओं का मिलन बिन्दु है।

पूर्व: तत्पश्चात् बिन्दु 'बी' से होते हुए दक्षिण की ओर हरियाणा सरकार नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग अधिसूचना संख्या सी0सी0पी0 (एन0सी0आर0) / सी0 ए0 / (बी)-पीटीडी / 2007 / 1031, दिनांक 28 फरवरी 2007 द्वारा गांव नगरपालिका सीमा पटौदी के इर्द-गिर्द पहले से घोषित नियंत्रित क्षेत्र की सीमा के साथ-साथ बिन्दु 'सी' तक, जो कि गांव ब्रजपुरा (हदबस्त संख्या 18) की आयत संख्या 27 का दक्षिण-पूर्व कोना है।

दक्षिण: तत्पश्चात् बिन्दु 'सी' से होते हुए पश्चिम की ओर जिला गुड़गांव की दक्षिणी तटि दक्षिण-पूर्व जिला सीमा के साथ-साथ बिन्दु 'डी' तक जोकि गांव बरहेड़ी रहनवा (हदबस्त संख्या 261) की आयत संख्या 33 का दक्षिण-पश्चिम कोना है।

पश्चिम: तत्पश्चात् बिन्दु 'डी' से होते हुए उत्तर की ओर जिला गुड़गांव की पश्चिमी जिला सीमा के साथ-साथ बिन्दु 'ए' तक, जो कि प्रारम्भिक बिन्दु है।

डी0 एस0 देसी,
वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग।